मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय,भोपाल

क्रमांक/एफ–3–44/2008/26–2, भोपाल,दिनांक, 8/9/2008

विषयः– निःशक्तजन बालक/बालिकाओं के लिए छात्रगृह योजना–2008

–––0––

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानानुसार, निःशक्त व्यक्तियों के शेक्षणिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए छात्रगृह योजना प्रांरभ करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगी।

छात्रगृह योजना का क्रियान्वयन निम्न शर्तों के अधीन किया जावेगाः–

1/ छात्रगृहों का संचालन :–

छात्रगृहों का संचालन कक्षा 11 तथा उससे ऊपर के छात्र–छात्राओं के उपयोग तक सीमित रहेगा अर्थात् इनमें कक्षा 11 वीं से नीचे के छात्र–छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। जहाँ छात्रगृह स्थापित किये जायेंगे वहाँ बालिकाओं के लिए पृथक एवं बालकों के लिए पृथक छात्रगृह का संचालन पृथक–पृथक भवनों में किया जावेगा ।

2/ छात्रगृह के लिए भवन :–

प्राचार्य, अपनी शिक्षण संस्था के लिये शिक्षण संस्था मुख्यालय में और जिला विभागीय अधिकारी शिक्षण संस्थाओं की संख्या छात्रावासों में सुलभ स्थान, स्वयं के विवेक, छात्रों की मांग आदि के प्रकाश में जिले के किसी भी स्थान पर छात्रगृह संचालन का निर्णय ले सकेंगे जो कक्षा 11 से मैट्रिकोत्तर कक्षाओं के छात्र–छात्राओ की उपलब्धता, संभावना एवं आवश्यकता पर आधारित होगा। छात्रगृह की स्थापना शासकीय अथवा किराये पर भवन लेकर की जा सकती हैं। रूपये 750/– माहवार तक का भवन किराये पर लेने के लिये शिक्षण संस्थान के प्राचार्य प्रस्ताव तैयार कर अनुशंसा सहित सक्षम स्वीकृति हेतु सयुक्त संचालक/जिला उप संचालक,

सामाजिक न्याय को प्रस्ताव प्रेषित करेंगे। रूपये 1500/– तक मासिक किराये का भवन लेने के लिए विभागीय जिला अधिकारी सक्षम होंगे, किन्तु स्वीकृति के पूर्व जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा। इसके ऊपर किराये का भवन लिये जाने की स्वीकृति देने के लिये जिला कलेक्टर अधिकृत रहेगें। भवन का किराया निर्धारण के लिए कलेक्टर सक्षम रहेंगे एवं इस राशि का भुगतान शैक्षणिक कलेण्डर के लिए ही होगा।

3/ छात्रगृह स्थापना हेतु न्यूनतम आवश्यकता :–

छात्रगृह की स्थापना, संचालन व्यय तथा सुविधाओं की स्वीकृति तभी संभव हैं जब कम से कम पाँच (अधिकतम सीमा नही हैं) छात्र–छात्रायें छात्रगृह में रहने के लिये इच्छुक हों, जिसके लिये उनका लिखित आवेदन–पत्र अभिलेख में आधार स्वरूप रखा जाना आवयश्यक हैं।

4/ छात्रगृह में प्रवेशः–

प्रवेश देने के लिये शासकीय/अशासकीय संस्थाओं के प्राचार्य सक्षम रहेंगे। छात्रगृह में केवल उन्हीं छात्र–छात्राओं को प्रवेश की पात्रता होगी, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त शासकीय अथवा अशासकीय शिक्षण संस्था में कक्षा 11 या इससे ऊपर की कक्षा में प्रवेश लिया है, मैट्रिकोत्तर छात्रवृति की पात्रता रखते हों, या स्वीकृत हो चुकी हो, जिनका चरित्र उत्तम हो, जो योजना की पूर्ति एवं नियमों के पालन के लिये वचनबद्ध हों तथा जिनके माता/पिता/पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 96000/–से अधिक नहीं हो तथा छात्र/छात्रा मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। ऐसे छात्र–छात्राओं को केवल छात्रावासी दर पर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति देय होगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि छात्रगृह के छात्र–छात्राओं को राज्य छात्रवृत्ति या शिष्यवृत्ति की पात्रता नही हैं । प्रवेश के इच्छुक छात्र–छात्राओं को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देना अनिवार्य होगा।

5/ छात्रों को क्या देना होगा :–

प्रत्येक छात्रगृह में बिजली तथा पानी पर होने वाला व्यय प्रति छात्रगृह रूपये 1000/–प्रतिमाह का खर्च शासन की ओर से वहन किया जावेगा। यदि व्यय

इससे अधिक हुआ तो अतिरिक्त राशि का वहन छात्रों के द्वारा बराबर–बराबर किया जायेगा ।

6/ मकान किराया एवं बिजली, पानी का भुगतान कैसे होगा :–

निर्धारित किराये की दर पर या उपरोक्त की शर्त पर लिये गये मकान के किराये का भुगतान प्राचार्य/जिला विभागीय अधिकारी द्वारा उन्हें वर्ष में इस योजना अंतर्गत दिये गये आबंटन से बिल बनाकर कोषालय से राशि आहरण करके सीधे मकान मालिक को भुगतान करना होगा। इसी प्रकार आबंटन से विद्युत एवं जल के बिल का भुगतान प्राचार्य/जिला विभागीय अधिकारियों द्वारा ही किया जावेगा। इस प्रकार नियमित छात्रावास संचालन हेतु लिये गये किराये के मकान एवं छात्रगृह योजना के संचालन हेतु लिये गये किराये के मकान का भाड़ा एवं विद्युत जल के भुगतान में कोई अंतर नही हैं। यह दोनों भुगतान विभागीय रूप से ही मकान मालिक/विद्युत मण्डल/जलकर विभाग को नियमित रूप से प्राचार्य भुगतान करेंगे। प्राचार्य राशि की मांग संभागीय/जिला विभागीय अधिकारी सामाजिक न्याय को प्रस्ताव प्रेषित करेंगे तथा संभागीय/जिला विभागीय अधिकारी द्वारा राशि का आहरण कर संबंधित प्राचार्य को उपलब्ध करायेंगे तथा प्राचार्य मकान मालिक/संस्था को भुगतान कर पावती/रसीद लेकर रिकार्ड में रखेंगे।

7/ मकान किराये पर लेना :–

ऐसी संभावना सुनिश्चित होने पर कि छात्रगृह का संचालन हो, जिला विभागीय अधिकारी अथवा प्राचार्य मकान का अवलोकन करके बिजली, पानी, शौचालय, भवन पक्का/अच्छी अवस्था में शिक्षण संस्थाओं की निकटता, छात्र–छात्राओं की सुविधा आदि को ध्यान में रखकर भवन प्रभार में ले लेगा एवं छात्रों को प्रवेश देकर छात्रगृह का संचालन प्रारंभ करायेंगे।

छात्रगृह के लिये एक बार उचित मकान लेने पर एवं छात्रगृह का संचालन सफल होने पर मकान/भवन निरन्तर रखा जावेगा, अर्थात ग्रीष्म अवकाश में मकान खाली करने की आवश्यकता नही हैं। ऐसा मकान/भवन लिया जावे जो छात्रों को आकर्षित करे एवं उनकी सुविधाओं के हिसाब से उपयुक्त हो। छात्रों की संख्या के

हिसाब से तथा छात्रगृह के किराये की भुगतान राशि पर संतुलित ढंग से ध्यान रखा जावेगा।

विभाग केवल मकान किराया, विद्युत एवं जलकर देगा। बर्तन, उपकरण, फर्नीचर, राशन–पानी, साफ–सफाई, अखबार, स्वीपर आदि शेष व्यवस्था छात्र/छात्राओं को स्वयं निजी तौर पर करनी होगी। इसके लिये विभाग का कोई दायित्व नही हैं। छात्रों को एक परिचय पत्र जारी किया जावेगा जिसमें उसका नाम, पिता का नाम, जाति, छात्रगृह में प्रवेश आवेदक का क्रमांक एवं दिनांक शिक्षण संस्था का नाम एवं उसकी फोटो एवं हस्ताक्षर प्रमाणित रहेंगे। छात्रगृह का निरीक्षण विभाग का कोई भी अधिकारी कर सकेगा। इस संबंध में ऐसी व्यवस्था अपनाई जावे कि रोस्टर में छात्रगृह के निरीक्षण का भी बिन्दु रहे एवं छात्रगृहों का निरीक्षण भी नियमित रूप से होता रहे। वर्ष के अंत में परीक्षाफल एवं संस्था का मूल्याकंन किया जाना चाहिए। कमियों की पूर्ति एवं त्रुटियों को दूर किया जाना चाहिए। संस्था में एक छात्र नायक नामजद किया जावेगा जो छात्र हाजरी रजिस्टर एवं छात्रगृह के निरंतर संचालित रहने के तथ्य की पुष्टि एवं प्रमाणीकरण करने हेतु अधिकृत रहेगा। छात्रगृह में निरीक्षण पुस्तिका रखी जाये। छात्रगृह के छात्रों की प्रगति शिक्षण संस्थाओं से भी ज्ञात की जाते रहे। छात्रगृह पर संस्था का बोर्ड़ लगाया जावे व उसे संस्था के किसी शिक्षक की देखरेख में किया जावे। छात्रगृह छात्रों द्वारा संचालित एवं आत्मसंयम से नियंत्रित संस्था हैं। छात्रगृह के सुचारू रूप से संचालन की एक नियमवाली या समयचक्र संबंधित प्राचार्य द्वारा बनाई जाये ।

8/ छात्रगृह का रख रखाव :–

मकान/भवन में विशेष मरम्मत का कार्य मकान मालिक का दायित्व होगा। वर्ष में एक बार दिपावली अवकाश में मकान की वार्षिक पुताई भी मकान मालिक को करना होगी जिसके उपयोग के दौरान बिजली के स्वीच, वायर, बल्व, ट्यूबलाईट तथा सीवेंज टेंक की मरम्मत एवं सफाई के कार्य का दायित्व भी भवन/मकान मालिक का होगा। छात्रगृह का रख–रखाव सदैव अच्छी हालत में रहे जिससे कि वहाँ का वातावरण उत्साहवर्धक बना रहे ।

अनुबंधक :– मकान/भवन लेते समय जो अनुबंध किया जावे उसमें उपरोक्त बातों का समावेश किया जावे। सक्षम अधिकारी द्वारा किराया निर्धारण होने तक की बीच की अवधि के लिए मकान मालिक को अंतिम समायोजन की शर्त पर तदर्थ किराया प्राचार्य/जिला विभागीय अधिकारी द्वारा भी अधिकृत की गई सीमा में स्वविवेक से तदर्थ स्वीकृत किया जाकर मकान मालिक को नियमित दिया जाना जारी रखा जावेगा, ताकि वह भवन का विशेष एवं साधारण वार्षिक रखरखाव जारी रख सके तथा वित्तीय वर्ष का आबंटन लेप्स न हो। अंतिम हिसाब–किताब वाजिब किराया निर्धारण दर से संपन्न होगा ।

भवन स्वामी और विभाग के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता हैं तो उसका निराकरण दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला कलेक्टर द्वारा किया जावेगा जिनका निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों को मान्य तथा बंधनकारी होगा । यह शर्त भी अनुबंध पत्र में अनिवार्य रूप से लेखी करायी जाना चाहिए ।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
सामाजिक न्याय विभाग

पृ0क्रमांक/एफ–3–44/2008/26–2 भोपाल दिनांक 8 /9 /2008

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र.शासन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा/स्कूल शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा, अनुसूचित जाति /जनजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. आयुक्त,सामाजिक न्याय,1250 तुलसी नगर,भोपाल,म.प्र.
4. आयुक्त, जन संपर्क, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय आयुक्त,मध्यप्रदेश ।
6. समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत,मध्यप्रदेश।
8. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक,सामाजिक न्याय,म.प्र.
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला संयोजक, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,मध्यप्रदेश

अवर सचिव
म.प्र.शासन
सामाजिक न्याय विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग

निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिये छात्रगृह योजना के अंतर्गत प्रवेश हेतु
आवेदन पत्र

शैक्षणिक वर्ष 200 – 200

(छात्रगृह योजना कक्षा 11वीं तथा उससे ऊपर के नियमित छात्र/छात्राओं के लिये)

विकलांगता दर्शाता छात्र/छात्रा का नवीनत फोटो

1. छात्र/छात्रा का पूरा नाम–.....
   छात्र/छात्रा.....
2. पिता/पालक/अभिभावक का पूरा नाम–.....
   माता का नाम.....
3. स्थायी निवास का पूरा पता(मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
   .....
   .....
4. निःशक्तता का प्रकार(निःशक्तता का प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
5. छात्र/छात्रा की जन्मतिथि–.....
6. अध्ययनरत छात्र/छात्रा के शैक्षणिक संस्थान का नाम.....
   .....
7. छात्र/छात्रा किस कक्षा में अध्ययनरत है–.....
   कक्षा में प्रवेश का दिनांक.....
8. छात्र/छात्रा का शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश का दिनांक.....
9. छात्र/छात्रा का वर्ग (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) का स्पष्ट उल्लेख करें तथा जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें–.....
   .....
10. छात्र/छात्रा का धर्म–.....

11. विगत वर्ष में छात्र/छात्रा द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा का नाम (अंकसूची संलग्न करें)... .....

12. छात्र/छात्रा के माता/पिता/पालक/अभिभावक की वार्षिक आय (आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)–रूपये.....

घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और प्रमाण पत्रों के आधार पर पूर्ण रूप से सत्य है कोई भी असत्य जानकारी पायी जाने पर मुझे उक्त लाभ से वंचित किया जा सकेगा। छात्रगृह योजना हेतु मेरे द्वारा शासन के नियम/निर्देशों के अनुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है। नियमों में दर्शायी गई सभी शर्तें मुझे स्वीकार हैं।

स्थान

दिनांक छात्र/छात्रा का पूरा नाम तथा हस्ताक्षर

.....

पिता/पालक/अभिभावक का नाम तथा हस्ताक्षर

.....

आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण–

(1).....(2).....(3).....

(4).....(5).....(6).....

संस्था प्रमुख का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा(श्री/कुमारी)..... .....आत्मज श्री/श्रीमती..... विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान.....में दिनांक.....को कक्षा.....में नियमित रूप से प्रवेश दिया गया है। छात्र/छात्रा का व्यवहार/चरित्र उत्तम है तथा उसे विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान अथवा अन्य किसी संस्थान में छात्रावास की सुविधा प्रदान नहीं की गई है। छात्र/छात्रा को छात्रगृह योजना का लाभ दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

स्थान

दिनांक

संस्था प्रमुख का नाम तथा हस्ताक्षर एवं मद मुद्रा सहित

संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय के कार्यालयीन उपयोग हेतु

श्री/कुमारी.....आत्मज श्री/श्रीमती..... .....संस्था प्रमुख की अनुशंसा के आधार पर छात्रगृह में प्रवेश की पात्रता होने के कारण छात्रगृह का स्थान एवं पता (छात्रगृह) ....में दिनांक.....से प्रवेश दिया जाता है।

नोट–आवेदन पत्र अमान्य करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/टीप अंकित करें..... ....

स्थान–
दिनांक

हस्तक्षार, नाम एवं पदमुद्रा सहित
संयुक्त संचालक/उप संचालक
सामाजिक न्याय,
जिला.....
मध्यप्रदेश

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश
(1250, तुलसीनगर, भोपाल–462003)
(Telephone- 0755-2556916, FAX-0755-2552665)
(Tollfree Helpline for Persons with Disability -1800 233 4397)
E-mail address: dpswbpl@nic.in

कमांक/निःक0–5/2014/1209 भोपाल,दिनांक21-07-2014

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश

2. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक
   सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
   मध्यप्रदेश

विषयः– निःशक्त बालक/बालिकाओ के लिये छात्रगृह योजना 2008 का प्रभावी कियान्वयन करने के संबंध में ।

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण ओर पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के प्रावधानुसार, निःशक्त व्यक्तियो के शैक्षणिक पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिये निःशक्त छात्र/छात्राओ के लिये छात्रगृह 2008 योजना लागू है । सहज संदर्भ हेतु योजना की प्रति संलग्न है ।

2. छात्रगृहो का संचालन कक्षा 11 तथा उससे उपर की कक्षाओ में अध्ययन करने वाले छात्र–छात्राओ के उपयोग के लिये है । छात्रगृह की स्थापना शासकीय अथवा किराये पर भवन लेकर की जा सकती है । रूपये 750/– (सात सौ पचास) प्रतिमाह तक का भवन किराये पर लेने के लिये शिक्षण संस्थान के प्राचार्य प्रस्ताव तैयार कर संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय से सक्षम स्वीकृति ले सकेगे । रूपये 1500/– (एक हजार पांच सौ) तक मासिक किराये का भवन लेने के लिये कलेक्टर के अनुमोदन से विभागीय जिला अधिकारी तथा इससे अधिक किराये का भवन लिये जाने की स्वीकृति देने के लिये कलेक्टर अधिकृत है। भवन का किराया निर्धारण के लिये कलेक्टर सक्षम रहेंगे । छात्रगृह मे कम से कम पांच छात्र/छात्राओ हेतु पृथक पृथक छात्रगृह होंगे ।

3. छात्रगृह हेतु छात्र/छात्राओ के माता /पिता /पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 96000/– (छियान्वे हजार) रखी थी । म0प्र0 शासन सामाजिक न्याय विभाग के आदेश कं एफ 3–26/ 2013/26–2 भोपाल दिनांक 19.7.2013 से निःशक्त व्यक्तियो के सामाजिक पुनर्वास एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से संचालित सभी शिक्षा प्रोत्साहन से संबंधित योजनाओ में पात्रता के मापदंड में निःशक्त छात्र/छात्रा के माता पिता/पालक/ अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 96000/– के बंधन को समाप्त किया है । सह संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न ।

4. छात्रगृह में बिजली /पानी पर होने वाला व्यय प्रति छात्रगृह रूपये 1000/- (एक हजार) प्रतिमाह के मान से शासन की ओर से वहन होगा, इससे अधिक व्यय उक्त छात्रगृह में निवासरत छात्रो द्वारा आपस मे बराबर बराबर व्यय किया जावेगा । भवन किराये का भुगतान संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय द्वारा संबंधित स्कूल के प्राचार्य के माध्यम से भवन मालिक को किया जावेगा । इस प्रकार विभाग द्वारा छात्रगृह के किराया, विद्युत एवं जलकर का भुगतान किया जावेगा, शेष अन्य व्यय जैसे बर्तन, उपकरण, फर्नीचर, भोजन, पानी, साफ सफाई, अखबार, स्वीपर आदि व्यवस्था छात्र/ छात्राओ से निजी तौर पर करना होगी ।

5. छात्रगृह योजना का संचालन स्वैच्छिक संस्थाओ के माध्यम से भी करवाया जा सकता है, ताकि ऐसे निःशक्त जिन्हे देखभाल की आवश्यकता हो, उनकी समुचित देखभाल एन0जी0ओ0 द्वारा की जा सके । भोजन आदि की व्यवस्था भी तद्नुसार की जा सकती है जिसका भुगतान हितग्राही को स्वयं करना होगा ।

6. यह देखने में आया है कि ऐसे कई निःशक्त छात्र/छात्राएं है जिन्हे छात्रावास एवं अन्य स्थान पर आवास व्यवस्था सुलभ न होने से कठिनाई आती है । अतः ऐसे निःशक्तो को छात्रगृह योजना में लाभ दिलवाने की व्यवस्था की जावे, ताकि वे अपना अध्ययन कार्य सुचारू रूप से पूर्ण कर सके । योजना का पर्याप्त प्रचार प्रसार भी किया जावे, ताकि निःशक्तो को इसकी जानकारी हो सके ।

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से अवगत करावे।

(व्ही0के0 बाथम)
आयुक्त पदेन सचिव
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश

पृ0कमांक/निःक0-5/ /2014/1210 भोपाल,दिनांक21.07.2014

प्रतिलिपिः

1- अपर मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

2- समस्त संभागीय आयुक्त म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3- आयुक्त, जनसंपर्क, समाचार के [illegible] में प्रकाशनार्थ ।

आयुक्त पदेन सचिव
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश

sateesh

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय,भोपाल

क्रमांक/एफ–3–44/2008/26–2, भोपाल,दिनांक, 8/9/2008

विषयः– निःशक्तजन बालक/बालिकाओं के लिए छात्रगृह योजना–2008

---0---

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानानुसार, निःशक्त व्यक्तियों के शैक्षणिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए छात्रगृह योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगी।

छात्रगृह योजना का क्रियान्वयन निम्न शर्तों के अधीन किया जावेगाः–

1/ छात्रगृहों का संचालन :–

छात्रगृहों का संचालन कक्षा 11 तथा उससे ऊपर के छात्र–छात्राओं के उपयोग तक सीमित रहेगा अर्थात् इनमें कक्षा 11 वीं से नीचे के छात्र–छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। जहाँ छात्रगृह स्थापित किये जायेंगे वहाँ बालिकाओं के लिए पृथक एवं बालकों के लिए पृथक छात्रगृह का संचालन पृथक–पृथक भवनों में किया जावेगा ।

2/ छात्रगृह के लिए भवन :–

प्राचार्य, अपनी शिक्षण संस्था के लिये शिक्षण संस्था मुख्यालय में और जिला विभागीय अधिकारी शिक्षण संस्थाओं की संख्या छात्रावासों में सुलभ स्थान, स्वयं के विवेक, छात्रों की मांग आदि के प्रकाश में जिले के किसी भी स्थान पर छात्रगृह संचालन का निर्णय ले सकेंगे जो कक्षा 11 से मैट्रिकोत्तर कक्षाओं के छात्र–छात्राओ की उपलब्धता, संभावना एवं आवश्यकता पर आधारित होगा। छात्रगृह की स्थापना शासकीय अथवा किराये पर भवन लेकर की जा सकती हैं। रूपये 750/– माहवार तक का भवन किराये पर लेने के लिये शिक्षण संस्थान के प्राचार्य प्रस्ताव तैयार कर अनुशंसा सहित सक्षम स्वीकृति हेतु सयुक्त संचालक/जिला उप संचालक,

सामाजिक न्याय को प्रस्ताव प्रेषित करेंगे। रूपये 1500/– तक मासिक किराये का भवन लेने के लिए विभागीय जिला अधिकारी सक्षम होंगे, किन्तु स्वीकृति के पूर्व जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा। इसके ऊपर किराये का भवन लिये जाने की स्वीकृति देने के लिये जिला कलेक्टर अधिकृत रहेगें। भवन का किराया निर्धारण के लिए कलेक्टर सक्षम रहेंगे एवं इस राशि का भुगतान शैक्षणिक कलेण्डर के लिए ही होगा।

3/ **छात्रगृह स्थापना हेतु न्यूनतम आवश्यकता :–**

छात्रगृह की स्थापना, संचालन व्यय तथा सुविधाओं की स्वीकृति तभी संभव हैं जब कम से कम पाँच (अधिकतम सीमा नही हैं) छात्र–छात्रायें छात्रगृह में रहने के लिये इच्छुक हों, जिसके लिये उनका लिखित आवेदन–पत्र अभिलेख में आधार स्वरूप रखा जाना आवयश्यक हैं।

4/ **छात्रगृह में प्रवेश:–**

प्रवेश देने के लिये शासकीय/अशासकीय संस्थाओं के प्राचार्य सक्षम रहेंगे। छात्रगृह में केवल उन्हीं छात्र–छात्राओं को प्रवेश की पात्रता होगी, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त शासकीय अथवा अशासकीय शिक्षण संस्था में कक्षा 11 या इससे ऊपर की कक्षा में प्रवेश लिया है, मैट्रिकोत्तर छात्रवृति की पात्रता रखते हों, या स्वीकृत हो चुकी हो, जिनका चरित्र उत्तम हो, जो योजना की पूर्ति एवं नियमों के पालन के लिये वचनबद्ध हों तथा जिनके माता/पिता/पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 96000/–से अधिक नहीं हो तथा छात्र/छात्रा मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। ऐसे छात्र–छात्राओं को केवल छात्रावासी दर पर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति देय होगी। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि छात्रगृह के छात्र–छात्राओं को राज्य छात्रवृति या शिष्यवृत्ति की पात्रतां नही हैं । प्रवेश के इच्छुक छात्र–छात्राओं को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देना अनिवार्य होगा।

5/ **छात्रों को क्या देना होगा :–**

प्रत्येक छात्रगृह में बिजली तथा पानी पर होने वाला व्यय प्रति छात्रगृह रूपये 1000/–प्रतिमाह का खर्च शासन की ओर से वहन किया जावेगा। यदि व्यय

इससे अधिक हुआ तो अतिरेक्त राशि का वहन छात्रो के द्वारा बराबर–बराबर किया जायेगा ।

6/ **मकान किराया एवं बिजली, पानी का भुगतान कैसे होगा :–**

निर्धारित किराये की दर पर या उपरोक्त की शर्त पर लिये गये मकान के किराये का भुगतान प्राचार्य/जिला विभागीय अधिकारी द्वारा उन्हें वर्ष में इस योजना अंतर्गत दिये गये आबंटन से बिल बनाकर कोषालय से राशि आहरण करके सीधे मकान मालिक को भुगतान करना होगा। इसी प्रकार आवंटन से विद्युत एवं जल के बिल का भुगतान प्राचार्य/जिला विभागीय अधिकारियों द्वारा ही किया जावेगा। इस प्रकार नियमित छात्रावास संचालन हेतु लिये गये किराये के मकान एवं छात्रगृह योजना के संचालन हेतु लिये गये किराये के मकान का भाड़ा एवं विद्युत जल के भुगतान में कोई अंतर नही हैं। यह दोनों भुगतान विभागीय रूप से ही मकान मालिक/विद्युत मण्डल/जलकर विभाग को नियमित रूप से प्राचार्य भुगतान करेंगे। प्राचार्य राशि की मांग संभागीय/जिला विभागीय अधिकारी सामाजिक न्याय को प्रस्ताव प्रेषित करेंगे तथा संभागीय/जिला विभागीय अधिकारी द्वारा राशि का आहरण कर संबंधित प्राचार्य को उपलब्ध करायेंगे तथा प्राचार्य मकान मालिक/संस्था को भुगतान कर पावती/रसीद लेकर रिकार्ड में रखेंगे।

7/ **मकान किराये पर लेना :–**

ऐसी संभावना सुनिश्चित होने पर कि छात्रगृह का संचालन हो, जिला विभागीय अधिकारी अथवा प्राचार्य मकान का अवलोकन करके बिजली, पानी, शौचालय, भवन पक्का/अच्छी अवस्था में शिक्षण संस्थाओं की निकटता, छात्र–छात्राओं की सुविधा आदि को ध्यान में रखकर भवन प्रभार में ले लेगा एवं छात्रों को प्रवेश देकर छात्रगृह का संचालन प्रारंभ करायेंगे।

छात्रगृह के लिये एक बार उचित मकान लेने पर एवं छात्रगृह का संचालन सफल होने पर मकान/भवन निरन्तर रखा जावेगा, अर्थात ग्रीष्म अवकाश में मकान खाली करने की आवश्यकता नही हैं। ऐसा मकान/भवन लिया जावे जो छात्रों को आकर्षित करे एवं उनकी सुविधाओं के हिसाब से उपयुक्त हो। छात्रों की संख्या के

हिसाब से तथा छात्रगृह के किराये को भुगतान राशि पर संतुलित ढंग से ध्यान रखा जावेगा।

विभाग केवल मकान किराया, विद्युत एवं जलकर देगा। बर्तन, उपकरण, फर्नीचर, राशन–पानी, साफ–सफाई, अखबार, स्वीपर आदि शेष व्यवस्था छात्र/छात्राओं को स्वयं निजी तौर पर करनी होगी। इसके लिये विभाग का कोई दायित्व नही हैं। छात्रों को एक परिचय पत्र जारी किया जावेगा जिसमें उसका नाम, पिता का नाम, जाति, छात्रगृह में प्रवेश आवेदक का क्रमांक एवं दिनांक शिक्षण संस्था का नाम एवं उसकी फोटो एवं हस्ताक्षर प्रमाणित रहेंगे। छात्रगृह का निरीक्षण विभाग का कोई भी अधिकारी कर सकेगा। इस संबंध में ऐसी व्यवस्था अपनाई जावे कि रोस्टर में छात्रगृह के निरीक्षण का भी बिन्दू रहे एवं छात्रगृहों का निरीक्षण भी नियमित रूप से होता रहे। वर्ष के अंत में परीक्षाफल एवं संस्था का मूल्याकंन किया जाना चाहिए। कमियों की पूर्ति एवं त्रुटियों को दूर किया जाना चाहिए। संस्था में एक छात्र नायक नामजद किया जावेगा जो छात्र हाजरी रजिस्टर एवं छात्रगृह के निरंतर संचालित रहने के तथ्य की पुष्टि एवं प्रमाणीकरण करने हेतु अधिकृत रहेगा। छात्रगृह में निरीक्षण पुस्तिका रखी जाये। छात्रगृह के छात्रों की प्रगति शिक्षण संस्थाओं से भी ज्ञात की जाते रहे। छात्रगृह पर संस्था का बोर्ड लगाया जावे व उसे संस्था के किसी शिक्षक की देखरेख में किया जावे। छात्रगृह छात्रों द्वारा संचालित एवं आत्मसंयम से नियंत्रित संस्था हैं। छात्रगृह के सुचारू रूप से संचालन की एक नियमवाली या समयचक्र संबंधित प्राचार्य द्वारा बनाई जाये ।

8/ **छात्रगृह का रख रखाव :–**

मकान/भवन में विशेष मरम्मत का कार्य मकान मालिक का दायित्व होगा। वर्ष में एक बार दिपावली अवकाश में मकान की वार्षिक पुताई भी मकान मालिक को करना होगी जिसके उपयोग के दौरान बिजली के स्वीच, वायर, बल्व, ट्यूबलाईट तथा सीवेंज टेंक की मरम्मत एवं सफाई के कार्य का दायित्व भी भवन/मकान मालिक का होगा। छात्रगृह का रख–रखाव सदैव अच्छी हालत में रहे जिससे कि वहाँ का वातावरण उत्साहवर्धक बना रहे ।

अनुबंधक :- मकान/भवन लेते समय जो अनुबंध किया जावे उसमें उपरोक्त बातों का समावेश किया जावे। सक्षम अधिकारी द्वारा किराया निर्धारण होने तक की बीच की अवधि के लिए मकान मालिक को अंतिम समायोजन की शर्त पर तदर्थ किराया प्राचार्य/जिला विभागीय अधिकारी द्वारा भी अधिकृत की गई सीमा में स्वविवेक से तदर्थ स्वीकृत किया जाकर मकान मालिक को नियमित दिया जाना जारी रखा जावेगा, ताकि वह भवन का विशेष एवं साधारण वार्षिक रखरखाव जारी रख सके तथा वित्तीय वर्ष का आबंटन लेप्स न हो। अंतिम हिसाब–किताब वाजिब किराया निर्धारण दर से सम्पन्न होगा ।

भवन स्वामी और विभाग के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता हैं तो उसका निराकरण दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला कलेक्टर द्वारा किया जावेगा। जिनका निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों को मान्य तथा बंधनकारी होंगा । यह शर्त भी अनुबंध पत्र में अनिवार्य रूप से लेखी कराया जाना चाहिए ।

(टीनू जोशी)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
सामाजिक न्याय विभाग

पृ0क्रमांक/एफ–3–44/2008/26–2 भोपाल दिनांक 8/9/2008

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र.शासन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा/स्कूल शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा/ अनुसूचित जाति /जनजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. आयुक्त,सामाजिक न्याय,1250 तुलसी नगर,भोपाल,म.प्र.
4. आयुक्त, जन संपर्क, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय आयुक्त,मध्यप्रदेश ।
6. समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत,मध्यप्रदेश।
8. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक,सामाजिक न्याय,म.प्र.
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला संयोजक, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,मध्यप्रदेश

अवर सचिव 6/9/08
म.प्र.शासन
सामाजिक न्याय विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग

निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिये छात्रगृह योजना के अंतर्गत प्रवेश हेतु
आवेदन पत्र

शैक्षणिक वर्ष 200 – 200

(छात्रगृह योजना कक्षा 11वी तथा उससे ऊपर के नियमित छात्र/छात्राओं के लिये)

विकलांगता दर्शाता छात्र/छात्रा का नवीनत फोटो

1. छात्र/छात्रा का पूरा नाम–.....
छात्र/छात्रा.....

2. पिता/पालक/अभिभावक का पूरा नाम–.....
माता का नाम.....

3. स्थायी निवास का पूरा पता(मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
.....
.....

4. निःशक्तता का प्रकार(निःशक्तता का प्रमाण पत्र संलग्न करें).....

5. छात्र/छात्रा की जन्मतिथि–.....

6. अध्ययनरत छात्र/छात्रा के शैक्षणिक संस्थान का नाम.....
.....

7. छात्र/छात्रा किस कक्षा में अध्ययनरत है–.....
कक्षा में प्रवेश का दिनांक.....

8. छात्र/छात्रा का शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश का दिनांक.....

9. छात्र/छात्रा का वर्ग (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) का स्पष्ट उल्लेख करें तथा जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें–.....
.....

10. छात्र/छात्रा का धर्म–.....

11. विगत वर्ष में छात्र/छात्रा द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा का नाम (अंकसूची संलग्न करें)...
.....

12. छात्र/छात्रा के माता/पिता/पालक/अभिभावक की वार्षिक आय (आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)–रूपये.....

घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और प्रमाण पत्रों के आधार पर पूर्ण रूप से सत्य है कोई भी असत्य जानकारी पायी जाने पर मुझे उक्त लाभ से वंचित किया जा सकेगा। छात्रगृह योजना हेतु मेरे द्वारा शासन के नियम/निर्देशों के अनुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है। नियमों में दर्शायी गई सभी शर्तें मुझे स्वीकार हैं।

स्थान

दिनांक छात्र/छात्रा का पूरा नाम तथा हस्ताक्षर

.....

पिता/पालक/अभिभावक का नाम तथा हस्ताक्षर

.....

आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण–

(1).....(2).....(3).....

(4).....(5).....(6).....

संस्था प्रमुख का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा(श्री/कुमारी).....

.....आत्मज श्री/श्रीमती.....

विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान.....में

दिनांक.....को कक्षा.....में नियमित रूप से प्रवेश दिया गया है। छात्र/छात्रा का व्यवहार/चरित्र उत्तम है तथा उसे विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान अथवा अन्य किसी संस्थान में छात्रावास की सुविधा प्रदान नहीं की गई है। छात्र/छात्रा को छात्रगृह योजना का लाभ दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

स्थान

दिनांक

संस्था प्रमुख का नाम तथा हस्ताक्षर एवं मद मुद्रा सहित

संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय के कार्यालयीन उपयोग हेतु

श्री/कुमारी.....आत्मज श्री/श्रीमती.....
.....संस्था प्रमुख की अनुशंसा के आधार पर छात्रगृह में प्रवेश की पात्रता होने के कारण छात्रगृह का स्थान एवं पता (छात्रगृह) .....
.....में दिनांक.....को प्रवेश दिया जाता है।

नोट–आवेदन पत्र अमान्य करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/टीप अंकित करें.....
.....
.....

स्थान–
दिनांक

हस्ताक्षर, नाम एवं पदमुद्रा सहित
संयुक्त संचालक/उप संचालक
सामाजिक न्याय,
जिला.....
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग,
//मंत्रालय, //
वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश

भोपाल, दिनांक 12.7.2013
13-7-2013

क्रमांक एफ 3-26/2013/26-2 / राज्य शासन एतद् द्वारा (निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधान अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुर्नवास एवं सशक्तीकरण के उद्देश्य से संचालित सभी **शिक्षा प्रोत्साहन से** संबंधित योजनाओं में पात्रता के मापदण्ड में निःशक्त छात्र/छात्रा के माता–पिता/पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 96,000 (रूपये छियान्वे हजार) के बंधन को समाप्त करता है ।

2– उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(व्ही.के.बाथम)
सचिव,
मध्ययप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग

क्रमांक एफ 3-26/2013/26-2 भोपाल, दिनांक 12.7.2013
13-7-2013

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय विभाग
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग
3. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, भोपाल
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, कार्यालय भोपाल
7. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर
8. आयुक्त, सामाजिक न्याय, म.प्र., भोपाल
9. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.
10. आयुक्त, निःशक्तजन, म.प्र.
11. संचालक, तकनीकी शिक्षा विभाग,

12. समस्त कलेक्टर, म.प्र.
11. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय विभाग
13. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.
14. समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय, म.प्र.

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 3-22/2012/26-2 भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2012
25-6-2013

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
3. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश।
4. समस्त उप संचालक, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, मध्यप्रदेश।
6. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश।
7. समस्त जिला संयोजक, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश
8. समस्त विकास खण्ड अधिकारी, विकास खण्ड, मध्यप्रदेश

विषय :– निःशक्त विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, दृष्टिबाधितों को वाचक भत्ता और उत्कृष्ठ विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि के सम्बन्ध में निर्देश।

–0–

राज्य सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 2 (झ) में परिभाषित निःशक्तजन जिनकी निःशक्ता 40 प्रतिशत या अधिक है, के लिए अधिनियम के अध्याय–5 शिक्षा के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये तथा समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अवयवों प्रक्रियाओं के सरलीकरण वा दरों का युक्तीयुक्तकरण करते हुये निःशक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति/दृष्टिहीन छात्रों को वाचक भत्ता, बोर्ड की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व में जारी किये गयें परिपत्र क्रमांक एफ 3–129/2007/26–2 दिनांक 8 फरवरी 2008 को अतिक्रमित करते हुए नये नियम तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते है जो इस प्रकार है:–

1 निःशक्त विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही अवयवों के अन्तर्गत दरें निम्नानुसार है :–

1 दरें :–

1.1 छात्रवृत्ति की दरें :–

क्र0	स्कूल का स्तर	कक्षा	दर	दस माह हेतु
1.	प्राथमिक एवं मिडिल स्तर	1 से 8 तक	रू0 50/–	रू0 500/–
2.	माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर/आईटीआई	9 से 12 तक	रू0 100/–	रू0 1000/–
3.	स्नातक/स्नातकोत्तर/पॉलीटेक्नीक	सभी संकाय को एक समान	रू0 200/–	रू0 2000/–

1.2 दृष्टिबाधित निःशक्त को वाचक भत्ता :–

क्र0	स्तर	दर	दस माह हेतु
1.	स्नातक/पॉलीटेक्नीक	रू0 100/–	रू0 1000/–
2.	स्नातकोत्तर	रू0 125/–	रू0 1250/–
3.	तकनीकी पाठ्यक्रम	रू0 150/–	रू0 1500/–

1.3 प्रोत्साहन राशि :–

परीक्षा का स्तर	नियमित प्रवेश	प्रोत्साहन राशि
कक्षा 8वीं	कक्षा 9वीं	रू0 2500/– एकमुश्त
कक्षा 10वीं	कक्षा 11वीं	
कक्षा 12वीं	स्नातक (किसी भी संकाय में प्रवेश लेने पर)	रू0 3000/– एकमुश्त

2 छात्रवृत्ति, वाचक भत्ता, प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिये निम्नानुसार पात्रता की शर्ते रहेंगी :–

2.1 विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो तथा शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित रुप से अध्ययनरत् हो।

2.2 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता वाले विद्यार्थी जिनको चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

2.3 विद्यार्थी के माता–पिता अथवा अभिभावक की वार्षिक आय रू0 96,000/– से अधिक न हो।

2.4 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि शासकीय स्कूलों में नियमित परीक्षार्थी के रूप में बोर्ड की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों ।

3 छात्रवृत्ति/वाचक भत्ता/प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने के लिये पदाभिहित अधिकारी/अपीलीय अधिकारी एवं समय–सीमा लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत रहेगी :–

क्र.	योजना का नाम	सहायता का विवरण	स्वीकृतकर्ता/पदाभिहित अधिकारी		प्रथम अपील		द्वितीय अपील	
			पदनाम	समय सीमा	पदनाम	समय सीमा	पदनाम	समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	छात्रवृत्ति	कक्षा 1 से 5 तक कक्षा 6 से 8 तक	प्रधान पाठक, शासकीय माध्यमिक शाला	प्रथम किस्त सितम्बर, द्वितीय किस्त फरवरी	जिला शिक्षा अधिकारी	30 दिवस	मु0का0अ0 जि0पं0	30 दिवस
		कक्षा 9 से 12वीं	प्राचार्य, शासकीय हाईस्कूल/उ0मा0 विद्यालय	प्रथम किस्त सितम्बर, द्वितीय किस्त फरवरी	जिला शिक्षा अधिकारी	30 दिवस	मु0का0अ0 जि0पं0	30 दिवस
		अशासकीय शैक्षणिक संस्थाएं	प्राचार्य, हाईस्कूल/उ0मा0 विद्यालय (जि.शि.अधि. द्वारा अधिकृत)	प्रथम किस्त सितम्बर, द्वितीय किस्त फरवरी	जिला शिक्षा अधिकारी	30 दिवस	मु0का0अ0 जि0पं0	30 दिवस
		स्नातक/स्नातकोत्तर/पोलिटेक्निक	संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय	प्रथम किस्त सितम्बर, द्वितीय किस्त फरवरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि0पं0	30 दिवस	कलेक्टर	30 दिवस
2.	दृष्टिबाधित वाचक भत्ता	स्नातक/स्नातकोत्तर/पोलिटेक्निक	संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय	प्रथम किस्त सितम्बर, द्वितीय किस्त फरवरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि0पं0	30 दिवस	कलेक्टर	30 दिवस
3.	प्रोत्साहन राशि	उत्कृष्ट श्रेणी के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना	संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय	30 दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि0पं0	30 दिवस	कलेक्टर	30 दिवस

4 आवेदन प्राप्त करने एवं जमा करने की प्रक्रिया :–

4.1 *कक्षा 1 से 12 तक की छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि हेतु–*

4.1.1 विद्यार्थी जिस शाला में अध्ययनरत् हैं उस शाला से उसे आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त होगा । जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गत वर्ष प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या के मान से संबंधित शालां को आवेदन पत्र उपलब्ध करायेगे ।

4.1.2 विद्यार्थी जिस शाला में अध्ययनरत है उसे उसी शाला में आवेदन पत्र जमा करना होगा।

4.1.3 निःशक्त विद्यार्थियों को कक्षा 1 से 8 तक के लिये एक बार आवेदन करना होगा। 9 वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जायेगा। केवल आय सम्बन्धी पुष्टि विद्यार्थियों को करनी होगी।

4.1.4 कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के लिये समेकित छात्रवृत्ति योजना का आवेदन पत्र परिशिष्ट–अ है, जिसमें निःशक्त विद्यार्थी अपनी निःशक्तता का विवरण प्रस्तुत करेगा ।

4.2 *स्नातक, स्नातकोत्तर, पोलिटेक्निक के निःशक्त छात्रों हेतु छात्रवृत्ति, वाचक* भत्ता एवं प्रोत्साहन राशि

4.2.1 विद्यार्थी जिस महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था में अध्ययनरत् हैं उस संस्था से ही पत्र निःशुल्क प्राप्त होगा । संबंधित जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय द्वारा गत वर्ष प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या के मान से संबंधित संस्थाओं को आवेदन पत्र उपलब्ध करायेगे । आवेदन पत्रों के मुद्रण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति जिले की निराश्रित निधि के ब्याज की राशि से की जा सकती है।

4.2.2 विद्यार्थी जिस संस्था में अध्ययनरत है उसे उसी संस्था में आवेदन पत्र जमा करना होगा।

4.2.3 विद्यार्थी द्वारा जमा किया गया नवीन/नवीनीकरण का आवेदन पत्र संस्था प्रमुख, अनुशंसा के साथ संबंधित जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय को प्रेषित करें।

4.2.4 स्नातक, स्नातकोत्तर, पोलिटेक्निक के निःशक्त छात्रों के लिए आवेदन पत्र परिशिष्ट–ब है।

5 छात्रवृत्ति एवं वाचक भत्ते का भुगतान :–

5.1 छात्रवृत्ति एवं वाचक भत्ते की प्रथम किस्त माह सितम्बर में तथा दूसरी किस्त माह फरवरी में भुगतान की जायेगी।

5.2 छात्रवृत्ति/वाचक भत्ता/प्रोत्साहन राशि का भुगतान विद्यार्थी के बैंक के बचत खाते में ई–बैंकिंग के माध्यम से किया जायेगा। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी जिनका स्वयं का बैंक में खाता नहीं है उनको छात्रवृत्ति का भुगतान माता–पिता/अभिभावक के बैंक बचत खाते में ई–बैंकिंग के माध्यम से होगा।

5.3 कक्षा 1 से 12 तक छात्रवृत्ति स्वीकृत कर भुगतान कराने का दायित्व स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी का होगा।

5.4 स्नातक, स्नातकोत्तर, पोलिटेक्निक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, वाचक भत्ता एवं प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर भुगतान करने का दायित्व संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय का होगा।

6 प्रोत्साहन राशि –

6.1 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि एकमुश्त केवल एक वर्ष के लिये उसके बैंक बचत खाते में ई–बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध करवाई जायेगी। इसके लिये विद्यार्थियों को पृथक से आवेदन संस्था से अग्रेषित कराकर संयुक्त संचालक/उप

संचालक सामाजिक न्याय के कार्यालय को दिनांक 30 अगस्त के पूर्व प्रेषित करना होगा।

7 छात्रवृत्ति हेतु आवंटन –

छात्रवृत्ति हेतु आवंटन आयुक्त सामाजिक न्याय द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण को उपलब्ध कराया जायेगा जो कि निम्नांकित मांग संख्या के अंतर्गत विकलनीय होगा :–

7.1 आयोजना–मांग संख्या –80–त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता–शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम (101) निर्धन परिवारों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना, 0101– राज्य आयोजना (सामान्य) (3923) विकलांगों तथा अपंगों की सहायता के लिए योजना–41–छात्रवृत्तियां और वृत्तियां, 002–छात्रवृत्ति के अंतर्गत विकलनीय होगा।

7.2 आयोजनेत्तर–मांग संख्या–80–त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता–शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 60– अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम (101) निर्धन परिवारों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना, (3923) विकलांगों तथा अपंगों की सहायता के लिए योजना, (9999–आयोजनेत्तर)– 41 – छात्रवृत्तियां और वृत्तियां, 002–छात्रवृत्ति के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

7.3 आयोजना–मांग संख्या –15–अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता–शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02–समाज कल्याण–200–अन्य कार्यक्रम–0103–अनुसूचित उपयोजना (75) अंधमूक बधिरों को वृत्तियां–42–सहायक अनुदान, 009–पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वयन हेतु अनुदान, के अंतर्गत विकलनीय होगा।

7.4 आयोजना– मांग संख्या 52–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता–शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02–समाज कल्याण–101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, 0102 –आदिवासी क्षेत्र उपयोजना(75) अंधमूक बधिरों को वृत्तियां 42–सहायक अनुदान, 09–पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वयन हेतु अनुदान अन्तर्गत विकलनीय होगा।

8 उपयोगिता प्रमाण–पत्र :– आवंटित बजट के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष के अंत में आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा आयुक्त, सामाजिक न्याय को निर्धारित प्रपत्र में छात्रवृत्ति वितरण का कक्षावार विवरण उपलब्ध कराना होगा। उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रारूप **परिशिष्ट–"स"** पर है।

9 पर्यवेक्षण :–

उप संचालक/संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित विद्यालय/महाविद्यालय/संस्था में अध्ययनरत् निःशक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिल रहा है अथवा नहीं के लिये शैक्षणिक संस्थाओं में जाकर पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे तथा जिन पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है उसका कारण को ज्ञात कर पात्रता आने पर छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र भरवायेंगे और ऐसे प्रकरण की जानकारी कलेक्टर को देंगे।

10 अपील :–

निःशक्त छात्रवृत्ति/वाचक भत्ता/प्रोत्साहन अस्वीकृत होने की स्थिति में अथवा किसी भी तरह की शिकायत होने पर अपील/अभ्यावेदन की सुनवाई एवं निराकरण लोक

सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत पैरा तीन में उल्लेखित सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

11 <u>डाटा बेस</u> :–

स्पर्श अभियान के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम के तहत निःशक्त विद्यार्थियों का डाटा बैस तैयार किया जायेगा जो कि जिले के पदाभिहित संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं स्कूल जहां सुविधा हो, वहां रखा जायेगा तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग की बेवसाईट www.mpsc.mp.nic.in/socialjustice पर अपलोड किया जायेगा।

12 <u>समीक्षा</u> :–

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा जिला स्तर पर वर्ष में चार बार निःशक्त छात्रवृत्ति की समीक्षा की जायेगी। समीक्षा के द्वारा आवंटन एवं नीतिगत मुद्दों के लिए आयुक्त, सामाजिक न्याय के ध्यान में बिन्दु लाये जायेंगे । शेष बिन्दुओं का निराकरण जिला स्तर पर किया जायेगा । समीक्षा के दौरान कलेक्टर स्पर्श अभियान के अन्तर्गत जो आंकड़े निःशक्तों के प्राप्त हुए हैं उसके अनुपात में उनके जिले में स्कूल/महाविद्यालय में प्रवेश तथा प्रवेशित निःशक्त विद्यार्थियों को पात्रता आने पर छात्रवृत्ति की स्वीकृति/भुगतान की स्थिति आदि की समीक्षा करेगे।

संचालनालय स्तर पर समीक्षा आयुक्त, सामाजिक न्याय द्वारा की जायेगी। जिलों से मांग प्राप्त होने पर मांग के अनुरूप राशि का आवंटन आयुक्त, सामाजिक न्याय द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार।

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव,मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग.

क्रमांक एफ 3– 22/2012/26-2 भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2012
25-6-2013

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय मंत्रालय भोपाल।
2. स्टॉफ ऑफिसर मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल।
3. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, सामाजिक न्याय विभाग, मध्यप्रदेश।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक/स्कूल शिक्षा/उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/तकनीकी शिक्षा।
6. आयुक्त, सामाजिक न्याय मध्यप्रदेश,भोपाल।
7. कुल सचिव, विश्वविद्यालय– भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/रीवा/ग्वालियर की ओर पालनार्थ।
8. कुल सचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
9. कुल सचिव, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
10. कुल सचिव, ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय, चित्रकूट जिला सतना।

11. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग– भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/रीवा/जबलपुर/सागर/ग्वालियर की ओर समस्त शासकीय/स्वशासी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पृष्ठांकित करने हेतु।
12. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय–भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर/रीवा की ओर पालनार्थ।
13. प्राचार्य, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एम.ए.एन.आई.टी.), भोपाल की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग

परिशिष्ट - अ

म.प्र. शासन

" स्कूल शिक्षा विभाग "

" समेकित छात्रवृत्ति योजना "

आवेदन पत्र

शैक्षणिक सत्र 2012-13

(संस्था प्रमुख द्वारा भरा जाये)

!! संस्थागत विवरण !!			
जिले का नाम		कोड नम्बर	
विकास खण्ड का नाम		कोड नम्बर	
जनशिक्षा केन्द्र(संकुल)		कोड नम्बर	
स्कूल का स्तर प्राथमिक / माध्यमिक हाईस्कूल / उ0मा0वि0		कोड नम्बर	
स्कूल का नाम		कोड नम्बर	

(हेडमास्टर / प्राचार्य)
हस्ताक्षर / सील

!! विद्यार्थी का विवरण !!

1) छात्र/छात्रा का स्कॉलर नम्बर

जिला	वि.स.	संस्था	पंजीयन क्रमांक

फोटो

2) कक्षा .... सेक्शन ....

3) संस्था में प्रवेश की तिथि ....

(संस्था द्वारा भरा जाये)

1) छात्र/छात्रा का नाम :– (हिन्दी में)

2) छात्र/छात्रा का नाम :– (अंग्रेजी में)

3) गत् उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण :–

परीक्षा का नाम	संस्था का नाम	परीक्षा परिणाम	श्रेणी

4) पिता का नाम :–

5) माता का नाम :–

6) A. स्थाई पता :–

म0क्र0			वार्ड	क्रमांक							
					पिन						

B. पत्र व्यवहार का पता :–

म0क्र0			वार्ड	क्रमांक							
					पिन						

7) दूरभाष क्रमांक :–

8) जन्मतिथि :– प्रवेश के समय आयु

9) लिंग/वर्ग/जाति/धर्म :– पु0/M स्त्री/F वर्ग ST\SC\OBC\Gen\Po जाति धर्म

!! विद्यार्थी/माता/पिता का बचत बैंक खाता विवरण !!

10) A. बैंक का नाम :–

B. खाता क्रमांक :–

C. कोड नम्बर :–

11) विद्यार्थी के माता/पिता की आय का स्त्रोत :– .....

विद्यार्थी के माता/पिता की वार्षिक आय रु.:– .....(शब्दों में).....

नियोजन का विवरण :–A. पद :– .....

B. संस्था का नाम :– .....

C. नियोजन का प्रकार :– स्थाई/अस्थाई/अंशकालीन

12) आवेदित छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि :–

1 निःशक्तता संवर्ग .....

2 प्रावीण्यता संवर्ग .....

13) निःशक्ता का विवरण (अस्थि बाधित/दृष्टि बाधित/श्रवण बाधित मंदबुद्धि)

- निःशक्तता का प्रकार .....
- निःशक्तता का प्रतिशत .....
- निःशक्तता प्रमाण पत्र का क्रमांक
- जारी करने का दिनांक DD/MM/YYYY
- जारी करने वाले चिकित्सक/ संस्था का नाम .....

14) प्रोत्साहन राशि :–

- बोर्ड परीक्षा का नाम .....
- रोल नम्बर .....
- बोर्ड का नाम .....
- शैक्षणिक संस्था का नाम .....
- कुल अंक .....
- प्राप्तांक .....
- श्रेणी .....
- मेरिट में स्थान .....

// घोषणा पत्र //

सत्य निष्ठा से घोषणा करता हुं, कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और प्रमाण पत्रों के आधार पर पूर्ण रुप से सत्य है, यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो मुझे छात्रवृत्ति/वाचक भत्ता एवं प्रोत्साहन राशि से वंचित किया जा सकेगा।

पिता/माता/अभिभावक
का नाम एवं हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा का पूरा नाम
एवं हस्ताक्षर

परिशिष्ट- ब

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
स्नातक/स्नात्कोत्तर/पॉलीटेक्नीक के निःशक्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र (नवीन/नवीनीकरण)

!! विद्यार्थी का विवरण !!

फोटो

1) छात्र/छात्रा का स्कॉलर नम्बर [ ] जिला [ ] वि.स. [ ] संस्था [ ] पंजीयन क्रमांक

2) कक्षा .... संकाय .... सेक्शन ....

3) शैक्षणिक संस्था का नाम ....

4) शैक्षणिक संस्था में प्रवेश की तिथि ....
(संस्था द्वारा भरा जाये)

समग्र कोड

1) छात्र/छात्रा का नाम :-
(हिन्दी में)

2) छात्र/छात्रा का नाम :-
(अंग्रेजी में)

3) गत् वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण :-

परीक्षा का नाम	संस्था का नाम	परीक्षा परिणाम	श्रेणी

4) पिता का नाम :-

5) माता का नाम :-

6) A. स्थाई पता :- म0क्र0 ... वार्ड क्रमांक ... पिन

B. पत्र व्यवहार का पता- म0क्र0 ... वार्ड क्रमांक ... पिन

7) दूरभाष क्रमांक :-

8) जन्मतिथि :- [ ] [ ] [ ] प्रवेश के समय आयु [ ]

9) लिंग/वर्ग/जाति/धर्म :- पु0/M स्त्री/F वर्ग ST\SC\OBC\Gen\Poor\M धर्म [ ] H/M/C/S/B/J/Oth जाति [ ]

!! विद्यार्थी/माता/पिता का बचत बैंक खाता विवरण !!

10) A. बैंक का नाम :–

B. खाता क्रमांक :–

C. कोड नम्बर :–

11) विद्यार्थी के माता/पिता की आय का स्त्रोत :– .....

विद्यार्थी के माता/पिता की वार्षिक आय रु.:– .....(शब्दों में).....

नियोजन का विवरण :– A. पद :– .....

B. संस्था का नाम :– .....

C. नियोजन का प्रकार :– स्थाई/अस्थाई/अंशकालीन

12) निःशक्ता का विवरण (अस्थि बाधित/दृष्टि बाधित/श्रवण बाधित मंदबुद्धि)

- निःशक्तता का प्रकार .....
- निःशक्तता का प्रतिशत .....
- निःशक्तता प्रमाण पत्र का क्रमांक
- जारी करने का दिनांक DD/MM/YYYY
- जारी करने वाले चिकित्सक/ संस्था का नाम .....
- स्पर्श कार्ड का क्रमांक .....

// घोषणा पत्र //

सत्य निष्ठा से घोषणा करता हुं, कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और प्रमाण पत्रों के आधार पर पूर्ण रुप से सत्य है, यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो मुझे छात्रवृत्ति/वाचक भत्ता एवं प्रोत्साहन राशि से वंचित किया जा सकेगा।

पिता/माता/अभिभावक
का नाम एवं हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा का पूरा नाम
एवं हस्ताक्षर

स्थान
दिनांक :

परिशिष्ट–"स"

उपयोगिता प्रमाण पत्र

आयुक्त, सामाजिक न्याय संचालनालय म0प्र0 भोपाल द्वारा निःशक्त छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु वर्ष .....मे राशि रु0 ..... का आवंटन/बजट प्रदाय किया है, जिसके किये गये उपयोग का विवरण निम्नानुसार है :–

क0	वर्ष	प्राप्त आवंटन	कक्षा स्तर	विद्यार्थियों की संख्या		स्वीकृत एवं वितरित राशि	शेष राशि
				बालक	बालिका		
1							
2							
	योग						

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त तालिका अनुसार वर्ष ..... में प्राप्त आवंटन में से कुल ..... छात्र–छात्राओं को राशि रु0 .....की छात्रवृत्ति वितरित की गई है ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर